5.29

निग -582-I-16

नवीन प्रकरण- 582/2016

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–भिण्ड

महेन्द्र सिंह पुत्र श्री वदन सिंह उर्फ लटूरी सिंह यादव निवासी–ग्राम लुहारपुरा तहसील वृत मौ परगना गोहद, जिला–भिण्ड (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला–भिण्ड

...... अनावेदक

द्वारा आज दि. 17-2-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना गोहद जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/2015–16 अपील माल में पारित आदेश दिनांक 22.01.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

17/2/16

माननींय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

**मामले के संक्षिप्त तथ्य :**

1– यहकि, पटवारी मोजा मौ द्वारा रामजानकी मन्दिर मौ की स्थित भूमि खसरा क्रमांक 2677 रकवा 0.355, 3250 रकवा 0.418, 3258 रकवा 0.042, 3269 रकवा 0.617, 3260 रकवा 0.366, 3263 रकवा 0.146, 3270 रकवा 0.146, 3273 रकवा 0.585, 3221 रकवा 0.108 है0 कुल किता 9 कुल रकवा 3.751 है0 आवेदक द्वारा अतिक्रमण किया गया है ऐसी रिपोर्ट तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण को अ–68 में पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी तथा आवेदक को सूचना पत्र जारी किया गया।

2– यहकि, आवेदक द्वारा सूचना पत्र प्राप्त होने के पश्चात् अपना जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे द्वारा मन्दिर की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि भूमि के तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल श्रीवास्तव द्वारा उन्हे भूमि रुपये लेकर जुता दी थी। ऐसी स्थिति में आवेदक के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही समाप्त किये जाने का निवेदन किया।

3– यहकि, विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा कोई कथन नहीं किये गये

XXIX(a)-BR(H)-11

(529)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-582-एक/16 **जिला** - भिण्ड

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 19-12-18 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>**प्रशासकीय सदस्य** | |